

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता), फलौदी

(Mail id- dmphalodi.relief@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-सहायता/आदान-अनुदान 2079 रबी/2025/

दिनांक:-यथा हस्ताक्षर

प्रेषित:-

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं
नागरिक सुरक्षा विभाग राज.
जयपुर।

विषय:- संवत् 2079 पाला/शीतलहर (रबी) के लिये बजट आवंटन हेतु मांगपत्रों के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक एफ.2(6) () आ.प्र.एवं सहा./लेखा/बजट/2024/ दिनांक 21.02.2024 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय द्वारा 6156 लघु एवं सीमान्त काश्तकारों से भिन्न काश्तकारों के लिए की गई बजट मांग त्रुटिवश लघु एवं सीमान्त काश्तकार के बजट हेड से की गई थी जिसके कारण उक्त मांग औचित्य पूर्ण एवं विधि सम्मत प्रतीत नहीं हुई है।

ऑनलाईन डीमएमआईएस पोर्टल पर अपलोड रबी संवत् 2079 के समस्त काश्तकारों की सूचियों की जांच संबंधित पटवारियों के द्वारा करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं। संवत् 2079 रबी में की गई गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार ही पात्र काश्तकारों को सूचियों में सम्मिलित किया गया है।

अतः श्रीमान जी आप द्वारा ऑनलाईन डीमएमआईएस पोर्टल पर की गई बजट मांग को लौटाये जाने के उपरान्त कार्यालय द्वारा पुनः मांग प्रस्तुत की गई है। संवत् 2079 पाला/शीतलहर (रबी) के काश्तकारों को आदान-अनुदान वितरण किए जाने हेतु उक्तानुसार बजट की आवश्यकता रहेगी। मांग अनुसार बजट आवंटन का श्रम करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(अजय)

प्रभारी अधिकारी

आपदा प्रबंधन एवं सहायता
जिला फलौदी

Validity Unknown
Digitally signed by A
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.02.24 13:04:15 IST
Reason: Approved



कार्यालय जिला कलेक्टर, फलौदी

क्रमांक: F35/Phal/Rabi-2079/Remain/smf/33-50/2025

दिनांक: 20/02/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2079/PHA/0009084

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2079 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक raj kaj ref no. 3131092 & 1658-69 दिनांक 17.02.2023 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2079 (रबी-2022) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
बापिनी	4	SMF	33%-50%	43154
लोहावट	239	SMF	33%-50%	3806191
योग	243			3849345

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(09)-05-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
फलौदी

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
फलौदी

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by H Lal Atal
Date: 2025.02.20 10:59 IST
Reason: Self

